FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) [illegible] मुकाम ....

अमराराम बनाम सताराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आ० ... नं. 211/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 120 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8/9/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]	
8/9/2020	प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा। प्राप्त मिसल शामिल मिसल किया गया विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत पैदा-सेह आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य जो पुरानी मोडे आई हुई है जो वर्तमान के आधार की बजाय के खिलाफ गई है। जिस कारण	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:03:35 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

प्रार्थी के विपक्षीगणों से मध्य खेत की सेढ़ा मार्गों को लेकर तनाव बना दिया है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत की पैमाइशी करना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमाइशी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कामां को कमिश्नर व सम्बन्धित भू. अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि मौका स्थल पर सहायक कमिश्नर के प्रार्थी के आराजी खेतों की पक्की पैमाइशी मौके पर करके शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के बाद दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
2020

सहायक कलेक्टर (SDO)
कामां

Signature Not Verifi
Digitally signed by Vivek
Date: 2020.11.19 17:03:
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

...क/आवेदन/2020/ 585

...जस्व आवेदन संख्या –211/2020

दिनांकः– 08/09/2020

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री अमराराम पुत्र लिखमाराम
वगैरा 12 जाति–जाट
निवासी–सगरमोणी गोदारों की
ढाणी, बायतु चिमनजी,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

श्री सताराम पुत्र कोहलाराम
वगैरा 70, निवासी–सगरमोणी गोदारों
की ढाणी, बायतु चिमनजी,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–सगरमोणी गोदारों की ढाणी, पटवार मण्डल–बायतु चिमनजी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 517/477, 494/12 रकबा क्रमशः 40.2073, 3.2926 हैक्टेयर व मौजा हेमजी का तला पटवार मण्डल–बायतु चिमनजी के खेत खसरा नम्बर 622/390 रकबा 29.1240 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

8.9.2020

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/ 586 to 590

दिनांकः– 08/9/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री अमराराम पुत्र लिखमाराम वगैरा 12।
4. विप्रार्थीगण श्री सताराम पुत्र कोहलाराम वगैरा 70।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:03:35 IST
Reason: SelfAttested